रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1368/2025/2234/22-2-2025-17(386)/2025

लखनऊ:दिनांक: 21 नवम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुस्ताक अहमद(बंदी सं0-1504/14) पुत्र श्री अब्दुल वहाब, निवासी 256, डाक्टर काटजू रोड, थाना-शाहगंज, जनपद-प्रयागराज को कारागार से मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-943/2025/465/22-2-2025-17(386)/2025 दिनांक 31 जुलाई, 2025 के फार्म-घ(डी) के दूसरे पैरा की सातवीं पंक्ति में बंदी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रयागराज के स्थान पर टकंण त्रुटिवश श्री मुकेश अंकित हो गया है, जिसे "जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रयागराज" पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1368/2025/2234(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2025 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
3- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in